

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0-89/2012-13


राज्य बनाम सूरज एवं अन्य


आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना के पत्र सं0 60/अनु0 दिनांक-11.01.2013 के द्वारा आलमगंज थाना कांड सं0 325/12 दिनांक-23.12.2012 से दर्ज प्राथमिकी की छाया-प्रति एवं जप्ती-सूची के आलोक में प्रारम्भ किया गया। विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना के पत्र में जप्त समाग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है। विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन के अनुशंसा के आलोक में दिनांक-21.10.2014 को उक्त वाद में आदेश पारित करते हुए विपक्षी (आरोपी) पर नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में कोई साक्ष्य हो तो दिनांक-07.03.13 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखें अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की कंडिका-6 ए के प्रावधानों के अंतर्गत जप्त समाग्रियों को राजसात (Confiscate) कर दिया जायेगा।</p> <p>दिनांक-12.12.2015 को विपक्षी उपस्थित हुए। दिनांक-02.02.18 को विपक्षी द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने का आदेश दिया गया। परन्तु (विपक्षी) द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।</p> <p>दिनांक-19.11.2018 को अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि जप्त समाग्रियाँ विनष्ट हो सकता है। इसे राजसात (Confiscate) कर लिया जाय।</p> <p>आलमगंज थाना कांड सं0 325/12 से जप्त समाग्रियों को "The kerosene (Restriction uses and Fixation of ceiling price) Order - 1993" के उल्लंघन के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6ए के</p>	

अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के आलोक में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन को आदेश दिया जाता है कि आलमगंज थाना कांड सं० 325/12 दिनांक-23.12.2012 में जप्त अनुदानित नीले किरासन तेल एवं अन्य समाग्रियों को बिक्री करा दें। बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाना में कोषागार चालान से जमा कराकर चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में संघारित करें। उक्त चालान की एक छाया-प्रति को स्व० हस्ताक्षर कर न्यायालय में भेज दें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।